

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 83/2017

बउनवान

नरेश आयु 45 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति—चोबदार निवासी—नारेड़ा तहसील—बारां  
जिला—बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रिस्पॉडेंट)

**अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :—1. श्री गोविन्द सिंह, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)  
(रिस्पॉडेंट)

**निर्णय दिनांक— 02.09.2021**



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 19.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—नारेड़ा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 828 रकबा 1.12 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 560/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिस्पॉडेंट को जयें सम्मत तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट व बयान के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में स्वतंत्र गवाहान के बयान, पूर्व बेदखली व पश्चात्वर्ती निर्णय की प्रति नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 413/12 निर्णय दिनांक 10.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 828 रकबा 1.12 है0 ग्राम नारेड़ा पर सम्वत् 2069 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 419/12 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाव जा पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जायी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 197/14 में पारित आदेश दिन 19.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुन गया।



(राजेंद्र विजय)  
जिला कलेक्टर, बारां  
बारां (राब0)